राज्य के बाहर उपचार कराने की अनुमति का अधिकार संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 को देने बावत्

म0प्र0 वेतन आयोग, 1981 (चौधरी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन में अनुशंसा है कि ऐसे मामलों में जिसमें चिकित्सा परिचारक की यह राय हो कि मामले में विशेषीकृत उपचार की आवश्यकता है, जो उस चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है जिससे वह सम्बंधित है, तो उसे यह मामला सिविल सर्जन को निर्दिष्ट करना चाहिये। सिविल सर्जन इससे संतुष्ट होने पर मामला क्षेत्रीय चिकित्सा महाविद्यालय को निर्दिष्ट करेगा। यदि चिकित्सा महाविद्यालयों में उस विशिष्ट उपचार का प्रभारी आचार्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रोगी को जिस स्तर के उपचार की आवश्यकता है वह उसके चिकित्सा महाविद्यालय में या राज्य के किसी अन्य चिकित्सा महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है तो उसे यह मामला चिकित्सा शिक्षा संचालक को निर्दिष्ट करना चाहिये। संचालक चिकित्सा शिक्षा को राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी रहती ही है। यदि उसका समाधान हो जाये कि रोगी को राज्य के बाहर के चिकित्सालय में भेजना आवश्यक है तो उसे राज्य के बाहर स्थित किसी चिकित्सालय में उपलब्ध कराने की अनुमति देने का अधिकार होना चाहिये।

राज्य शासन ने चौधरी वेतन आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा पर विचार कर निर्णय लिया है कि किसी शासकीय सेवक अथवा उसका आश्रित किसी व्यक्ति के रोग के उपचार अथवा जांच की व्यवस्था राज्य के चिकित्सालयों में नहीं होने पर उपर्युक्त अनुशंसा में निहित प्रणाली का सामान्यतः अनुसरण करने के उपरान्त यदि संचालक चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 उक्त रोग का उपचार अथवा जांच राज्य के बाहर परन्तु देश में कराये जाने की आवश्यकता समझते हैं तो ऐसे उपचार या जांच के लिये अनुमति प्रदान करने का अधिकारी प्रदत्त किया जाता है। संचालक चिकित्सा शिक्षा ऐसे प्रकरणों में आवश्यकता अनुसार परिचारक को भी साथ में ले जाने की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा।

इस प्रकार दी गई स्वीकृति के अन्तर्गत निम्नानुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :-

(क) रोगी एवं जहां आवश्यक हो परिचारक को उस श्रेणी का रेल/बस किराया जिसकी शासकीय सेवक को नियमानुसार पात्रता हो अथवा उस निचली श्रेणी का वास्तविक रेल/बस किराया जिसमें यात्रा की गई हो।

(ख) चिकित्सकीय उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति उस सीमा तक होगी जिस सीमा तक राज्य के शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने पर म0प्र0 सिविल सर्वेसेस (मेडिकल अटेण्डेंट) रूल्स, 1958 के प्रावधानों के अधीन देय है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन कमांक 1956/R-II/F-4-83 दिनांक 26.10.1983 द्वारा महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर को पृष्ठांकित की गई है।

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग क्रमांक 2526/4916/17/मेडि-4 दिनांक 30.09.1985)

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-6-21/2013/2/पचपन   भोपाल, दिनांक 29/05/2013

प्रति

1- शासन के समस्त विभाग।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

3- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

4- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

5- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य से बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

-000-

वर्तमान में प्रदेश के बाहर स्थित मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में उपचार हेतु अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर गठित रेफरल कमेटी की अनुशंसा के उपरांत संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपचार कराने की स्वीकृति जारी की जाती है तथा संबंधित चिकित्सालय का स्टीमेट प्राप्त होने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बीमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेट में जो कम हो का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा की जाती है। उक्त कार्य हेतु अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय को अधिकृत किया जाता है। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय ऐसे प्रकरणों का परीक्षण उनकी अध्यक्षता में पूर्व से गठित समिति से सम्पन्न करेंगे तथा रेफरल पत्र जारी करेंगे, जिसकी प्रति संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संबंधित विभाग तथा संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को देंगे। साथ ही आवेदक द्वारा संबंधित चिकित्सालय का स्टीमेट प्रस्तुत करने पर चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बीमारियों के लिये निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा/ प्रस्तुत स्टीमेट में जो कम हो का 80 प्रतिशत अग्रिम स्वीकृति की अनुशंसा अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय जारी करेगा।

2/- कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने पर उसके संबंधित नियंत्रणकर्ता अधिकारी/ प्रशासकीय विभाग/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से संचालक, चिकित्सा

निरंतर...2/-

शिक्षा को प्राप्त होने के पश्चात प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निराकृत किये जाते हैं। ऐसे सभी कार्योत्तर स्वीकृति संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु संभाग स्तर पर निम्नानुसार कार्योत्तर समिति का गठन किया जाता है :-

1.	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
2.	अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय	सदस्य सचिव
3.	अधिष्ठाता द्वारा नामांकित विभागाध्यक्ष	सदस्य
4.	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा	सदस्य
5.	संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित उपायुक्त	सदस्य
6.	संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें	सदस्य

उक्त समिति निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. चंबल संभाग एवं ग्वालियर संभाग के प्रकरणों को ग्वालियर संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, उज्जैन संभाग एवं इन्दौर संभाग के प्रकरणों को इन्दौर संभाग में गठित समिति, नर्मदापुरम संभाग एवं भोपाल संभाग के प्रकरणों को भोपाल संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, शहडोल संभाग एवं रीवा संभाग के प्रकरणों को रीवा संभाग में गठित कार्योत्तर समिति, [illegible] संभाग में गठित कार्योत्तर समिति द्वारा निराकरण किया जायेगा।

2. उक्त कार्योत्तर समिति में संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत रखे जायेंगे तथा कार्योत्तर समिति में लिये गये निर्णयानुसार इस विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक की राशि की अनुमति आदेश अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी किये जावेंगे।

3. शासन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शेष राशि के प्रकरणों के संबंध में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अनुशंसा के साथ अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रस्ताव संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित करेंगे।

4. राज्य स्तरीय कार्योत्तर समिति में उन प्रकरणों पर विचार किया जायेगा, जिसमें संभाग स्तरीय समिति को किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई मार्गदर्शन अथवा अभिमत चाहा गया हो। यह सभी प्रकरण संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा के माध्यम से प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति को [illegible] प्रस्तुत किये जायेंगे।

//3//

5. संभाग स्तरीय कार्यान्वय समिति की बैठक प्रत्येक माह की एक से दस तारीख के बीच अनिवार्यतः आयोजित की जावेगी तथा इस बैठक में अवकाश [illegible] प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। उक्त समिति की बैठक आवश्यकतानुसार एक माह में एक से अधिक बार भी आयोजित की जा सकेगी।

6. शासकीय कर्मचारियों के प्रात.राज्य के बाहर निजी संस्थाओं में कराये गये उपचार की कार्योत्तर स्वीकृति की फाइलें का कार्यवाही विवरण प्रतिमाह संभाग स्तरीय कार्यान्वय समिति के सदस्य सचिव अर्थात अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा की बैठकों एवं अभिलेख/पंजी संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा एवं अधिष्ठाता के कार्यालय में संधारित किए जायेंगे।

7. उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय तिर्की)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ–4–23/2013/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 28/05/2013

प्रतिलिपि :–
1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
5. आचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, [illegible], [illegible], भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

म0प्र0 शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 14.06.2005

क्रमांक 18–58/2000/1/पचपन

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष म0प्र0
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0
5. समस्त जिलाध्यक्ष, म0प्र0

विषयः- राज्य शासन के कर्मचारियों/अधिकारियों को राज्य के बाहर केन्द्र शासन के शासकीय/ अन्य राज्यों के शासकीय चिकित्सालयों में उपचार पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति।

राज्य शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालयों में उपचार कराने पर निम्नलिखित बीमारियों के लिये उनके सन्मुख दर्शाई गई सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. एंजियोग्राफी	रूपये 15,000/–
2. हृदयरोग (सर्जरी)	रूपये 2,50,000/–
3. किडनी प्रत्यारोपण	रूपये 4,00,000/–
4. न्यूरोसर्जरी/न्यूरोलाजी	रूपये 3,00,000/–
5. कैंसर रोग	रूपये 4,00,000/–
6. कांकलीयर इम्पलान्ट	रूपये 6,20,000/–
7. लीवर ट्रांसप्लाट/हिप रिप्लेसमेंट (हड्डीरोग)	रूपये 4,00,000/–

उपचार में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा स्वंय वहन की जायेगी। उपचार हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह सीमायें आदेश जारी होने के दिनांक के उपरान्त हुये इलाज हेतु लागू होंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 587/04/नि/चार दिनांक 06.05.2004 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता0
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 18–58/2000/1/पचपन भोपाल, दिनांक 14.06.2003 द्वारा निजी चिकित्सालयों में किडनी प्रत्यारोपण के उपचार हेतु अधिकतम चिकित्सा प्रतिपूर्ति सीमा राशि रुपये 2,40,000/— निर्धारित की गई है। उपचार में उक्त निर्धारित सीमा से अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों द्वारा स्वंय वहन की जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की टीप क्रमांक 687/04/नि/चार दिनांक 08.03.2004 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता0
(ए.के. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ—4—23/2013/2/पचपन,   भोपाल, दिनांक / /02/2014

प्रति,

1— शासन के समस्त विभाग।

2— समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

3— अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।

4— समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।

5— समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय :— राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।

संदर्भ :— इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 28.05.2013.

=00=

राज्य शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों के राज्य के बाहर निजी चिकित्सा संस्थानों में उपचार कराने की अनुमति/ कार्योत्तर स्वीकृति हेतु संभाग स्तर पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण इस विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 28.05.2013 से किया गया है।

2/— चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ—18—68/2000/1/पचपन, दिनांक 14.08.2015 से शासकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों के राज्य के बाहर केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार तथा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने हेतु निम्नलिखित बीमारियों के लिये उनके सम्मुख दर्शाई गई सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है :—

केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार के चिकित्सालय

1.	एंजोग्राफी	रूपये 15,000=00 (पन्द्रह हजार मात्र)
2.	हृदय रोग (सर्जरी)	रूपये 2,50,000=00 (दो लाख पचास हजार मात्र)
3.	किडनी प्रत्यारोपण	रूपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)
4.	न्यूरो सर्जरी/ न्यूरोलॉजी	रूपये 3,00,000=00 (तीन लाख मात्र)
5.	कैंसर रोग	रूपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)
6.	कॉकलीयर इम्प्लांट	रूपये 5,20,000=00 (पाँच लाख बीस हजार मात्र)
7.	लीवर ट्रांसप्लांट/ हिप रिप्लेसमेंट (हड्डी रोग)	रूपये 4,00,000=00 (चार लाख मात्र)

मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय

1.	किडनी प्रत्यारोपण	रूपये 2,40,000=00 (दो लाख चालीस हजार मात्र)

राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा अब राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों में कराये गये उपचार के कार्योत्तर स्वीकृति के प्रकरणों में भी लागू करता है। अतः संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्योत्तर समिति उक्त निर्धारित प्रतिपूर्ति सीमा तक या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने की स्वीकृति जारी कर सकेंगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ–4– 23/2013/2/पचपन

भोपाल, दिनांक 11 /02/2014

प्रतिलिपि :–
1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
4. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
5. प्राचार्य, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
6. संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, म.प्र.।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/ इन्दौर/उज्जैन एवं रीवा, म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

राज्य के बाहर उपचार हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी चिकित्सालयों की सूची

कं.	चिकित्सालय का नाम	शहर का नाम	बीमारी का नाम	मान्यता अवधि
1.	ए.आई.आई.एम.एस. (ऐम्स)	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
2.	जी.बी.पन्त चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
3.	एल.एन.टी.पी. चिकित्सालय	नई दिल्ली	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
4.	के.ई.एम. हास्पीटल	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
5.	जसलोक चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
6.	बी.वाय.एल. नायर चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
7.	टाटा मेमोरियल चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
8.	नानावटी चिकित्सालय	मुम्बई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
9.	पुण्डालिया कार्डियोथेरोसिक फाउण्डेशन	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
10.	अपोलो हास्पीटल	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
11.	शंकर नेत्रालय	चेन्नई	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
12.	निजाम इंस्टीटयूट	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
13.	यशोदा हास्पीटल	हैदराबाद	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
14.	बी.एच.यू. (बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी)	वाराणसी	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
15.	सी.एम.सी. (क्रिश्चयन मेडिकल कालेज)	वेल्लोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
16.	एस.जी.पी.जी.आई.	लखनऊ	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
17.	साउथन रेल्वे चिकित्सालय	बरमपुर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार

18.	पी.जी.आई.	चण्डीगढ़	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
19.	श्रीचित्रा इंस्टीटयूट	त्रिवेन्द्रम	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
20.	निम्हांस हास्पीटल	बैंगलोर	चिकित्सालय द्वारा प्रदाय की जा रही सभी सुपर स्पेशिलिटी सेवाओं के लिए	लगातार
21.	अपोलो हास्पीटल	हैदराबाद	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बीएमवी एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी, सीएबीजी, वाल्व रिप्लेसमेंट, कांगनीटल कार्डियक सर्जरी एण्ड वास्कुलर सर्जरीज	07.09.2017
22.	मेदान्ता द मेडिसिटी	गुड़गांव हरियाणा	हृदयरोग, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियक इन्टरवेंशन एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एण्ड मल्टीडिसी–प्लीनरी क्रिटिकल केयर	07.06.2017
23.	अरनेजा हार्ट इंस्टीटयुट	नागपुर	हृदयरोग, कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजी इन्टरवेंशन बीएमवी/पीपीआई) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर	27.11.2017
24.	सेन्ट्रल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी	नागपुर	हेमोटोलाजी एण्ड अंकोलाजी एवं समस्त कैंसर रोग की जांच एवं उपचार	19.01.2018
25.	क्रीसेंट हास्पीटल एण्ड हार्ट सेंटर	नागपुर	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी/एंजियोप्लास्टी) एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विस एज वेल एज एसोसिएट क्रिटिकल केयर एवं मल्टी डिसीप्लीनरी ट्रीटमेंट	18.08.2017
26.	वेलकेयर हास्पीटल सेंटर फार नी एण्ड हिप सर्जरी	बड़ौदा गुजरात	टोटल नी एण्ड हिप रिप्लेसमेंट तथा आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर	07.06.2017
27.	केयर हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस लाईक आईसीसीयू इनपेशन्ट केयर, इनवेस्टीगेशन लाईक टीएमटी, कलर डाप्लर, होल्टर मानीटरिंग एण्ड कैथलेब के उपचार हेतु	08.09.2017

28	चौधरी हास्पीटल फ्रेक्चर एक्सीडेंट आर्थोपेडिक नर्सिंग होम	नागपुर	आर्थोपेडिक, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, फ्रेक्चर एक्सीडेंट एण्ड स्पाईन सर्जरी एण्ड एसोसिएटेड इमरजेंसी	31.03.2018
29	श्रीकृष्णा हृदयालय एण्ड क्रिटिकल केयर सेंटर	नागपुर	**कार्डियोलाजी (एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बी.एम. वी. एवं पी.पी.आई.) एवं कार्डियोथेरोसिक सर्जरी म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के ज्ञाप कमांक एफ 4–29/2016/55/2 दिनांक 27.04.2017 द्वारा संशोधित मान्यता प्रदान की गई है।**	**संशोधित मान्यता 04.05.2018 तक**
30	आर्चिड मल्टीस्पेशलिटी हास्पीटल	जलगांव महाराष्ट्र	कार्डियोलाजी (एंजियोग्राफी एण्ड एंजियोप्लास्टी एण्ड अदर कार्डियोलाजिकल इन्टरवेंशन लाईक बीएमवी, पीपीआई इत्यादि) एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी सर्विसेस एज वेल ऐज फार ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एण्ड आर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलाजी, रेडियोलाजी क्रिटिकल केयर से सम्बंधित उपचार	31.03.2018
31	प्लेटिना हार्ट हास्पीटल	नागपुर	कार्डियोलाजी एण्ड कार्डियोथेरोसिक सर्जरी से सम्बंधित उपचार हेतु	31.03.2019
32	ऑरेंजसिटी हास्पीटल एण्ड रिसर्च इंस्टीटयूट	नागपुर	कार्डियोलाजी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बी.एम.वी. एण्ड पीपीआई एण्ड कार्डियोथेरोसिक, काम्पलेक्स आर्थोपेडिक ट्रामा सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एवं स्पाईन सर्जरी, ई.एन.टी. सर्जीकल प्रोसीजर्स इण्डोस्कोपिक ई.एन.टी. सर्जरी, कॉक्लीयर इम्पलांट, नजल **(nasal)** सर्जरी इंक्लूडिंग एफ.ई.एस.एस. एण्ड हेड एण्ड नेक **(neck)** सर्जरी, न्यूरोलाजिकल प्रोसीजर्स, एपीलेप्सी सर्जरी वरीयस न्यूरोलाजिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स एण्ड ट्रीटमेंट हेतु	31.03.2018
33	गाजरे हास्पीटल न्यूरो सेंटर एण्ड वूमन्स क्लीनिक	जलगांव	न्यूरोलाजी बीमारी से सम्बंधित उपचार	31.03.2018

34	अपोलो हास्पीटल इन्टरनेशनल लिमिटेड	अहमदाबाद गुजरात	कार्डियोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, अंकोलाजी, पैथालाजी, मेडिकल गेस्ट्रोइन्ट्रोलाजी, आर्थोपेडिक्स, बोनमैरो ट्रांसप्लान्ट, रीनल ट्रांसप्लान्ट एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के उपचार हेतु	02.01.2019
35	कृष्णा इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेस	सिकन्दराबाद	हृदयरोग, हृदयरोग की सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, नीयोनेटल सर्जरी, प्लास्टिक एण्ड एस्थेटिक सर्जरी, ट्रांसप्लान्ट सर्जरी	28.07.2017 एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र अनुसार
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				